प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतीस' [15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 897]

परिशिष्ट- 1

कार्यालय महाप्रबन्धक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 – छिन्दवाड़ा

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

पत्र क्रमांक/257 /तक./मप्रग्रासविप्रा/2016 छिन्दवाड़ा, दिनांक 25/02/201

प्रति,

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन),
कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, जबलपुर (म.प्र.) ।

विषय :–विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 897।

संदर्भ :–आपके कार्यालय का पत्र कमांक 25/वि.स. सेल/बजट सत्र(फर.मार्च)सत्र/2016 दिनांक 24.02.16 ।

–0–0–0–0–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 897 की छिंदवाड़ा जिले की संकलित जानकारी मय प्रारूप उत्तर के साथ आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रारूप उत्तर ।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि0 क्रिया0 इकाई क्रमांक –1, छिन्दवाड़ा

पत्र क्रमांक/258 /तक./मप्रग्रासविप्रा/2016 छिन्दवाड़ा, दिनांक 25/02/2016

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, पंचम तल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, कलेक्टर सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचार

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि0 क्रिया0 इकाई क्रमांक –1, छिन्दवाड़ा

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 08/03/2016

वर्ग	:–4
बैठक का दिनांक	:–15/03/2016
विभाग का नाम	:–लोक निर्माण विभाग
विषय	:–प्रधानमंत्री सडक निर्माण के संबंध में।

अतारांकित प्रश्न क्रमाक : 897 श्री जतन उईके

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के अर्न्तगत अमरावती रोड से लहाना मार्ग के निर्माण का टेण्डर किस वर्ष हुआ था ? निर्माण कार्य एजेन्सी और मार्ग निर्माण को प्राक्कनल राशि क्या निर्धारित की गई है ?

(ख) यदि हॉं, तो मार्ग निर्माण की कार्यविधि अनुबंधानुसार कितने वर्ष निर्धारित की गई थी? प्राक्कलन में प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति के अनुसार क्या–क्या प्रावधान रखे गये थे ?

(ग) मार्ग निर्माण में आने वाली कुल कितनी पुल–पुलियां का निर्माण इस कार्य के साथ होना था और निर्माण एजेन्सी द्वारा अभी तक क्या–क्या और कितना कार्य किया जा चुका है? अनुबंध की राशि में मार्ग निर्माण न होने की स्थिति में क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर विभाग द्वारा स्वीकृति कराया गया है ?

(घ) क्या निर्माण एजेन्सी द्वारा उक्त कार्य दी गई समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी को कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि बढ़ाई गई तो किसा आधार पर ? कार्य विलंब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्णकर दिया जायेगा? पूर्ण करने की अवधि की जानकारी दें?

उत्तर

(क) पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के अर्न्तगत गंगा पाईप फैक्ट्री से लव्हाना मार्ग के निर्माण का टेण्डर वर्ष 2013 में स्वीकृत हुआ था। निर्माण कार्य की एजेन्सी मेसर्स मूसले कंस्ट्रक्शन, नागपुर है, और मार्ग निर्माण की प्राक्कनल राशि 114.63 लाख निर्धारित की गई है ।

(ख) हॉं, मार्ग निर्माण हेतु ठेकेदार को अनुबंधानुसार 1 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई थी। प्राक्कलन में प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति के अनुसार मार्ग निर्माण हेतु पुल–पुलियों सहित रूपये 114.63 लाख एवं 5 वर्ष की संधारण अवधि में रखरखाव हेतु रूपये 6.48 लाख का प्रावधान किया गया है ।

(ग) मार्ग निर्माण में आने वाली कुल 11 पुल–पुलियां का निर्माण इस कार्य के साथ होना था और निर्माण एजेन्सी द्वारा अभी तक सभी 11 पुल–पुलियो का एवं 4.05 कि.मी. मार्ग (3.95 कि.मी. डामरीकृत एवं 0.10 कि.मी. सी.सी. रोड़) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग निर्माण अनुबंध की राशि में पूर्ण कर लिया जायेंगा। चूंकि मार्ग निर्माण अनुबंध राशि में पूर्ण हो जावेगा, इसलिये पुनरीक्षित प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(घ) निर्माण एजेन्सी द्वारा उक्त कार्य दी गई समयावधि में पूर्ण नहीं करने पर विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी को अनुबंध की कंडिका में दिये गये शास्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये अनुबंध की समयावधि दिनांक 31.03.2016 तक बढ़ाई गई है। कार्य में विलंब होने के कारण ठेकेदार से लिक्विडिटी डैमेज के रूप में प्रत्येक देयक से शास्ति राशि का कटौत्रा किया जा रहा है। मार्ग निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से फरवरी 2016 में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि० क्रिया० इकाई क्रमांक –1, छिन्दवाड़ा